प्रेस नोट

आज दिनांक 18.06.2018 को जिलाधिकारी महोदया द्वारा कल्याण सेक्टर की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये गये है कि जिन ग्राम पंचायतो में पेंशन योजना का कोई भी लाभार्थी लाभ नही ले पा रहे है या जिन गांवो में जनसंख्या के अनुपात में पेंशनरो की संख्या कम है। ऐसी ग्राम पंचायतो में नवीन पेंशनरो यथा वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन के चिन्हीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाये तथा समस्त पात्र लाभार्थियो को पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय।

(समस्त प्रकार की पेंशन योजना की पात्रता के नियम व शर्ते निम्न प्रकार है)

वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियो जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक तथा बी0पी0एल0 सूची (भारत सरकार) 2002 में नाम हो। आर्थिक सहायता पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाती है।

पात्रता

1–आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो।
2–गरीबी रेखा के नीचे हो।

प्रपत्र

1–आधार कार्ड
2–बैंक खाता संख्या
3–आय प्रमाण पत्र (आवेदक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/– तथा शहरी क्षेत्र में रू0 56460/– से अधिक न हो।)
4–परिवार रजिस्टर नकल

प्रकिया–आवेदन समाज कल्याण वेबसाइट sspy-up.gov.in पर आनलाइन कर संबंधित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में हार्डकापी मय संलग्न सहित जमा करें।

निराश्रित विधवा पेंशन (पात्रता)

1–पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला की आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य हो तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
2–निराश्रित महिला के बच्चे नाबालिग हो अथवा बालिग होने पर भरण पोषण करने में असमर्थ हो।
3–निराश्रित महिला द्वारा पुर्नविवाह न किया गया हो अथवा शासन के अन्य विभाग द्वारा वृद्धावस्था या अन्य कोई पेंशन न हो रही हो।
4–आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतो से रू0 2.00 लाख से अधिक न हो।
5–आवेदिका को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही है।

प्रपत्र

1–बैंक पासबुक
2–फोटो
3–आधार कार्ड
4–मोबाइल नम्बर
5–आय प्रमाण पत्र (2.00 लाख)
6–परिवार रजिस्टर की नकल
7–मृत्यु प्रमाण पत्र

प्रकिया–आवेदन महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट sspy-up.gov.in पर आनलाइन करें। आनलाइन आवेदन के उपरान्त फार्म कही जमा नही होगा। जॉच प्रकिया आनलाइन होती रहेगी।

दिव्यांगजन पेंशन (पात्रता)

दिव्यांग व्यक्तियो हेतु भरण–पोषण अनुदान येाजना–सभी पात्र निराश्रित दिव्यांग व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत अथवा अधिक है को रू0 500/– प्रति माह की दर से दिव्यांग पेंशन दिये जाने का प्राविधान है।

प्रपत्र

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, कुष्ठ दिव्यांग होने की दशा में दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत गरीबी रेखा से नीचे का आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण 46080.00, शहरी 56460.00) बैंक खाता संबंधी प्रपत्र (राष्ट्रीयकृत बैंको में जो कोर बैंकिग सिस्टम से जुड़े हो का खाता संख्या) के साथ ग्राम सभा का निवासी होने की स्थिति में संबंधित ग्राम सभा का प्रस्ताव अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रकिया–आवेदन दिव्यांगजन कल्याण विभाग की वेबसाइट sspy-up.gov.in पर आनलाइन करें।

(सुधॉशु शेखर)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
सीतापुर।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर।

पत्रांक C-544/स0क0/पेंशन/2018–19/ दिनांकः– 18.06.18

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–जिलाधिकारी, सीतापुर।
2–मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
3–जिला सूचना निदेशक, सीतापुर को विज्ञप्ति की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सूचना सभी दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सीतापुर को इस आशय से कि जनपद की वेबसाइट पर उक्त विज्ञप्ति अपलोड करने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,